कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड–प्रथम डूँगरपुर

आपका जिला आपकी सरकार के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदया की दिनांक 07 से 10.8.2016 की डूँगरपुर जिले के भ्रमण के दौरान ''बोर का भाटड़ा'' लघु सिंचाई परियोजना के कार्य को प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किये गये थे तब से जिला प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रभावितों के साथ कई बार बैठक आयोजित कर समझाने का प्रयास किया गया। परन्तु उनका कहना था कि पूर्व में भी हम विस्थापित हुए है एवं पुनः विस्थापित किया जा रहा है। अतः इनके समझौता वार्तानुसार वर्ष 2006 के मुआवजा भुगतान के साथ–साथ 135 बीघा (20.76 हैक्टयेर) जमीन के स्थान पर प्रति परिवार (खातेदार) 1 बीघा जमीन जो कि कुल 6.50 हैक्टयेर होती है की राणीझूला वनक्षैत्र में आवंटित कराते हुए बांध के शेष निर्माण कार्य को प्रारंभ कराया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में ''किसानों द्वारा जिला प्रशासन को लिखित में सहमति दी गई है। कास्तकारों द्वारा उक्त भूमि की सिर्फ खेती के उपयोग में लेने हेतु सहमति प्रदान की है। आवासीय परियोजनार्थ नहीं है। विस्थापितों के मकान राणीझूला की सीमा से सटे हुए है एवं डूब क्षेत्र में नहीं आ रहे है। परियोजना के Catchment Area वनक्षैत्र में ही है एवं जल भराव से विस्थापितों की जमीने डूब में आ रही है। अतः आवासीय परियोजनार्थ कोई प्लान तैयार नहीं किया गया है सिर्फ कृषि हेतु भूमि का उपयोग किया जाएगा। अलग से रास्तों की आवश्यकता नहीं है। पूर्व के पारम्परिक रास्तों का उपयोग किया जाएगा।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड–प्रथम डूँगरपुर

(के.एल. रोत)
अधिशाषी अभियंता
जल संसाधन खण्ड प्रथम डूंगरपुर